(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस. भारद्वाज , जे, के सामने,

विश्वजीत कुलकर्णी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

2019 का सी. आर. एम.-एम. सं. 7288

08 अगस्त, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 82-उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख और वास्तविक उद्घोषणा के बीच 30 दिनों का अंतराल मौजूद है-25.07.2017 को **उद्घोषणा द्वारा मांगी गई याचिकाकर्ता की उपस्थिति-पूर्व उद्घोषणा के संबंध में रिपोर्ट की प्राप्ति न होने के कारण 08.09.2017** को **जारी की गई नई उद्घोषणा-पूर्व उद्घोषणा 18.09.2017** को **वापस** प्राप्त **की गई-याचिकाकर्ता ने 16.09.2017** को **घोषित व्यक्ति** घोषित किया गया। पूर्नविचार याचिका **सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया-चुनौती दी गई 30 दिनों की अवधि घोषणा की तारीख और** निचली अदालत द्वारा **पहले निर्धारित तिथि के बीच मौजूद नहीं थी । उद्घोषणा की तारीख और वास्तविक उद्घोषणा के बीच 30 दिनों की अवधि का पालन करना अनिवार्य** बताया गया–**इसके अलावा, न्यायालय द्वारा 30 दिनों की अवधि के**

लिए बाद में स्थगन वैधानिक अनुपालन के बराबर नहीं है- पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 82 के अधिदेश के संबंध में कानूनी स्थिति को बार-बार इस आशय से दोहराया गया है कि घोषणा के प्रकाशन और वास्तविक घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अनिवार्य समयावधि होनी चाहिए और न्यायालय द्वारा 30 दिनों की अवधि के लिए कोई भी बाद में स्थगन वैधानिक अनुपालन के बराबर नहीं है।

(पैरा **14)**

आगे अभिनिर्धारित किया कि उद्घोषणा का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि मुकदमे में कार्यवाही को तार्किक अंत तक ले जाया जा सके।याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाला वकील 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष पेश होने और निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड/जमानत बांड प्रस्तुत करने **और** 10, 000/- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के साथ **जमा करने का वचन देता है।**

(पैरा **15)**

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहन मित्तल ने कहा।

रमेश कुमार अंबावता, ए. एएजी हरियाणा।

विनोद एस. भारद्वाज।जे.

(1) वर्तमान याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा 2018 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 76 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2018 के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 के साथ पढ़े गए आदेश दिनांक 06.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की खंड 188 और पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र विनियमन अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की खंड 6,7 (आई), 8 और 10 के तहत अपराध के लिए गुड़गांव के पुलिस स्टेशन बादशाहपुर में प्राथमिकी संख्या 219 दिनांक 13.09.2012 मामले में घोषित किया गया था।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसे अपराध से कोई लेना-देना नहीं था क्योंकि वह केवल कंपनी यानी मेसर्स आर. डी. सी. कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी था और विभिन्न स्थानों पर कंपनी से संबंधित कानूनी मुद्दों को संभाल रहा था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया गया था क्योंकि वह उक्त कंपनी की ओर से 13.03.2015 के आदेश के माध्यम से पेश हो रहा था। उपरोक्त आदेश तैयार करने के आरोप को याचिकाकर्ता द्वारा गुरुग्राम में सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी।उक्त पुनरीक्षण याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 28.11.2017 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

(3) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम के समक्ष 12.12.2017 को उपस्थित होने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन चूंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम की अदालत से फाइल प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए मामले को 03.01.2018 के लिए स्थगित कर दिया गया। उक्त तिथि पर भी फाइल प्राप्त नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता और/या उसके वकील को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मामला दूसरे इलाखा मजिस्ट्रेट को भेजा गया है और उक्त इलाखा मजिस्ट्रेट ने मामले में घोषणा की कार्यवाही

16.10.2017 को ही शुरू की थी। याचिकाकर्ता ने इस धारणा के तहत जारी रखा कि फाइल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई थी और उनके वकील द्वारा सूचित किया गया था कि जब भी रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा और मुकदमे को आगे बढ़ाया जाना है, उन्हें सूचित किया जाएगा।यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, हालांकि, उसे भी वापस बिना निष्पादित किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता की उपस्थिति का निर्देश दिनांक 08.08.2017 के लिए दिनांक 25.07.2017 को उद्घोषणा द्वारा मांगा था। उक्त तिथि पर, चूंकि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए दिनांक 18.09.2017 के लिए दिनांक 08.09.2017 को नये सिरे से घोषणा जारी की गई थी । उन्होंने तर्क दिया कि 18.09.2019 को घोषणा को वापस प्रकाशित किया गया था, हालांकि, क्योंकि 30 दिनों की अनिवार्य अवधि समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति की प्रतीक्षा के लिए मामले को 16.10.2017 तक स्थगित कर दिया गया था। अंततः याचिकाकर्ता को घोषित व्यक्ति घोषित करते हुए 16.10.2017 को आदेश पारित किया गया।

(4) उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, हालांकि, इसे दिनांक 08.12.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। वर्तमान याचिका दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 82 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित) में निहित अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना एक घोषणा जारी की थी और इस तरह याचिकाकर्ता को घोषित व्यक्ति घोषित करने का आदेश गलत था और इसे दरकिनार किया जा सकता है।उन्होंने तर्क दिया कि घोषणा द्वारा से याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश 08.09.2017 को

18.09.2017 के लिए पारित किया गया था जो अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की अनिवार्य अवधि से कम था।उपरोक्त विवाद के पूरक के लिए विभिन्न निर्णयों का एक और संदर्भ दिया गया है।

(6) प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, हालांकि, उपरोक्त आदेश का बचाव करते हुए तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए 30 दिनों के जनादेश का पालन करने के लिए निचली अदालत द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में अनावश्यक रूप से देरी हुई है।

(7) मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी समर्थ सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(8) मामले में आगे की कार्यवाही से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 82 में निहित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निकालना आवश्यक होगा जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में खंड 82। 82/(1) फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा।

(1) यदि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है (चाहे वह साक्ष्य लेने के बाद हो या नहीं) कि कोई व्यक्तिजिसके खिलाफ उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है ताकि ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सके, तो ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे ऐसी उद्घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से कम से कम तीस दिनों के लिए एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

(2) घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी:-

(क) इसे सार्वजनिक रूप से उस शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर पढ़ा जाएगा जहाँ ऐसा व्यक्तिसामान्य रूप से रहता है।

(ख) यह उस घर या घर के किसी विशिष्ट भाग पर लगाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्तिसामान्य रूप से रहता है या ऐसे शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर लगाया जाएगा;

(ग) इसकी एक प्रति न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाई जाएगी।

(ii) न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो घोषणा की एक प्रति को उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश भी दे सकता है जिसमें ऐसा व्यक्तिसामान्य रूप से रहता है।

(3) उप-खंड (2) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट रीति से, इस आशय की उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित बयान कि उद्घोषणा विधिवत रूप से एक निर्दिष्ट दिन पर प्रकाशित की गई थी, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि इस खंड की अपेक्षाओं का पालन किया गया है और यह कि उद्घोषणा ऐसे दिन प्रकाशित की गई थी।

(9) उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि उद्घोषणा के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए 30 दिनों की अवधि दी जानी है। यह निर्विवाद है कि उद्घोषणा की तिथि और विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि के बीच 30 दिनों की उपरोक्त अवधि मौजूद नहीं थी।हालाँकि, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील घोषणा जारी करने को यह कहते हुए उचित ठहराना चाहते हैं कि निचली अदालत द्वारा मामले को स्थगित किए जाने के कारण, अभियुक्त को दिए जाने वाले 30 दिनों की अवधि के आदेश का पालन किया जाता है। इस संबंध में, उक्त मुद्दे पर न्यायिक पूर्व निर्णय संदर्भ देना आवश्यक होगा । यह न्यायालय अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में कहा था कि इसके अंतर्गतः 1 2013 (4) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.).

3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पानीपत द्वारा पारित दिनांक 4.1.2013 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता अशोक कुमार के खिलाफ धारा 82 और 83 Cr.P.C के तहत घोषणा जारी करने के लिए मामले को 6.3.2013 के लिए स्थगित कर दिया गया है।दिनांकित 6.3.2013 आदेश से पता चलता है कि अशोक कुमार के खिलाफ जारी की गई घोषणा को विधिवत निष्पादित किया गया। सेवारत सिपाही का बयान भी दर्ज किया गया।प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि नहीं गुजरी थी। इसलिए, मामले को 13.3.2013 तक स्थगित कर दिया गया। उस दिन याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था। मूल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि सेवारत अधिकारी, ए. एस. आई. दिलबाग सिंह का बयान 6.3.2013 पर दर्ज किया गया था, जिसने कहा कि 9.2.2013 को, वह घोषणा के साथ आरोपी के निवास स्थान पर गया था। सार्वजनिक रूप से पढ़ने के बाद, घोषणा को अभियुक्त के घर के विशिष्ट हिस्से में चिपकाया गया था जहां वह आम तौर पर रहता है। घोषणा की एक प्रति न्यायालय के विशिष्ट भाग पर भी चिपकाई गई थी, जिसका अर्थ है कि प्रकाशन 6.3.2013 के लिए 9.2.2013 पर किया गया था, जो दर्शाता है कि नोटिस के प्रकाशन के बाद, अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए 30 दिनों की अनिवार्य अवधि नहीं दी गई थी। केवल यह तथ्य कि न्यायालय ने 30 दिनों की अवधि के बाद इसे स्थगित कर दिया, खंड 82 (1) Cr.P.C के प्रावधानों के अनुपालन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. खंड 82 (1) Cr.P.C के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रकाशन 9.2.2013 पर किया गया था और अभियुक्त को उस प्रकाशन के अनुसार 6.3.2013 पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जो अवधि 30 दिनों से कम थी।इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि 13.3.2013 को आक्षेपित आदेश पारित करके, प्रकाशन खंड 82 Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी किया गया है। **प्रकाशन में ऐसा कोई आदेश नहीं**

था जो दोषी को उपस्थित होने का निर्दिष्ट समय और स्थान बताएं। इसलिए यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।

(10) दिलबाग सिंह @सोनू बनाम राज्य के मामले में पंजाब 2, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"8. जगदेव खान बनाम सम्राट, ए. आई. आर. (35) 1948 लाहौर 151, माननीय लाहौर उच्च न्यायालय ने पुराने सी.आर.पी.सी की खंड 87 के तहत भगोड़े व्यक्तिकी घोषणा से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया ।- जो नीचे पढ़ा गया है:–

(1) यदि किसी न्यायालय के पास किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कारण है जिसके खिलाफ उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है तो ऐसा न्यायालय एक लिखित घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और ऐसी घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से कम से कम तीस दिनों में एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

(2) (क) यह सार्वजनिक रूप से उस शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर पढ़ा जाएगा जहाँ ऐसा व्यक्तिसामान्य रूप से रहता है;

(ख) यह उस घर या घर के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है या ऐसे शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर; और (ग) इसकी एक प्रति न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाई जाएगी।

9. पुराने Cr.P.C की खंड 87 के प्रावधान प्रचलित Cr.P.C की खंड 82 के समान हैं।

10. सी.आर.पी.सी के खंड 82 के अवलोकन और जगदेव खान के मामले में निर्धारित कानून (उपरोक्त) यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वारंट से बच रहा है, तो अदालत को एक लिखित घोषणा प्रकाशित

करने का अधिकार है जिसमें उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और ऐसी घोषणा प्रकाशित करने की तारीख से कम से कम तीस दिनों में एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है और यह भी कि ऐसी घोषणा किस तरीके से प्रकाशित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किसी अभियुक्त को पेश होने का उचित अवसर मिले, 30 दिनों का स्पष्ट नोटिस आवश्यक है और घोषणा को कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से प्रकाशित किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता की घोषणा 20.08.2014 को 23.08.2014 के लिए जारी की गई थी और 25.09.2014 के विवादित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी घोषित किया गया था । रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को खंड 82 Cr.P.C के तहत अनिवार्य 30 दिनों का स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया है और घोषणा के प्रकाशन की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उप-धारा के प्रावधान 2(i) खंड 82 Cr.P.C का अनुपालन किया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार घोषणा की सूचना को उस शहर या गांव के किसी विशिष्ट स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ने की आवश्यकता होती है जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। इसे घर या घर के किसी विशिष्ट हिस्से में, जिसमें ऐसा व्यक्तिसामान्य रूप से रहता है, या ऐसे शहर या गाँव के किसी विशिष्ट स्थान पर भी चिपकाया जाना आवश्यक है। नोटिस की एक प्रति अदालत के किसी विशिष्ट हिस्से में चिपकाई जानी भी आवश्यक है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना विवादित आदेश के माध्यम से गलत तरीके से घोषित अपराधी घोषित किया गया है'।

(11) अभिषेक शर्मा बनाम पंजाब राज्य के मामले में

इस न्यायालय ने 2017 (ओ एंड एम) के सी. आर. एम.-एम.-5928 में पारित दिनांक 01.05.2017 के आदेश के माध्यम से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

इसके अलावा, अदालत द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि घोषणा 25.09.2016 को प्रभावी थी और अगली तारीख 17.10.2016 थी। इसलिए, न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए घोषणा के प्रकाशन की तारीख से प्रकाशन में 30 दिनों की अनिवार्य अवधि स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। न्यायालय द्वारा 30 दिनों की अवधि पूरी करने के लिए स्थगन कानून के अनुसार नहीं है।अभियुक्त को कैसे पता चलेगा कि उसे अगली तारीख को अदालत में पेश होना है।

(12) सतिंदरपाल औजला @सतिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले में इस अदालत ने 2016 के सी. आर. एम.-एम.-42740 **में पारित दिनांक 23.01.2017 के** आदेश के माध्यम से **निम्नानुसार अभिर्निधारित किया :–**

याचिकाकर्ता को एक उद्घोषणा के संबंध में दिनांक 08.02.2012 के आदेश के माध्यम से एक घोषित अपराधी घोषित किया गया था जो 29.12.2011 **को** किया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि वास्तव में 29.12.2011 से, याचिकाकर्ता को 30 दिनों का स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया था और मामले को 02.01.2012 पर लिया गया था और उसके बाद, इसे आगे 08.02.2012 पर स्थगित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अशोक कुमार बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य, 2013 (4) आरसीआर (आपराधिक)** में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए एक नई घोषणा जारी की जानी चाहिए थी।

विद्वान वकील आगे बताते हैं कि याचिकाकर्ता के सह-अभियुक्तों को उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है।

इस स्तर पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कपूरथला द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश की वैधता में गए बिना, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता को 02.02.2017 पर निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।ऐसा करने की स्थिति में, उसे निचली अदालत की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा।

(13) इसके अलावा, अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने 2017 के सी. आर. एम.-एम.-1866 में पारित 08.03.2017 के आदेश को निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"उपरोक्त उद्धृत प्रावधान स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित करने से पहले की गई घोषणा द्वारा उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने के लिए इसकी घोषणा की तारीख से कम से कम तीस दिन का समय दिया जाना चाहिए।

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तीस दिन नहीं दिए गए थे क्योंकि घोषणा 13.05.2011 पर की गई थी जिसमें उसे 14.05.2011 पर निचली अदालत के समक्ष पेश होने की आवश्यकता थी।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी घोषित करने वाली घोषणा और उसके बाद का आदेश (अनुलग्नक पी-2) संहिता की खंड 82 (1) के अधिदेश के साथ पुष्टि नहीं करता है"।

(14) उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, खंड 82 के अधिदेश के संबंध में कानूनी स्थिति को बार-बार इस आशय से दोहराया गया है कि घोषणा और वास्तविक घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अनिवार्य समयावधि होनी चाहिए और न्यायालय द्वारा 30 दिनों की अवधि के लिए कोई भी बाद में स्थगन वैधानिक अनुपालन के बराबर नहीं है।

(15) इसके अलावा, घोषणा का उद्देश्य एक अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि मुकदमे में कार्यवाही को तार्किक अंत तक ले जाया जा सके।याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाला वकील 4 सप्ताह की अवधि के

भीतर निचली अदालत के समक्ष पेश होने और निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड/जमानत बांड प्रस्तुत करने और 10,000/- रुपये की लागत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम **में जमा करने का वचन देता हूँ।**

(16) ऊपर देखे गए वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और उपक्रम के साथ न्यायिक पूर्व निर्णय बातों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और 10,000/- रुपये की लागत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम **में जमा करने के लिए दिया गया है।** वर्तमान याचिका की अनुमति है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा 2018 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 76 में पारित दिनांक 08.12.2018 के विवादित आदेश के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 03.11.2017 के आदेश के साथ पठित 16.10.2017 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता लागत 10,000/- **रूपये जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में** जमा करने के साथ-साथ ऊपर की गई 04 सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। जिसके बाद उसे अदालत की संतुष्टि के लिए उसके जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत के लिए स्वीकार किया जाएगा।

(17) वर्तमान याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

jasbir singh

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।